सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम शिमला के आम चुनाव 2022 की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूचियों के अपडेशन का कार्य आरम्भ किया जा रहा है। प्रारूप(Draft) मतदाता सूची व आक्षेप से सम्बधित प्रारूप 4, 5, 6 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी–एवं–उपमण्डल अधिकारी (ना0), शिमला ग्रामीण व शिमला शहरी कार्यालय, नगर निगम शिमला कार्यालय, तहसील शिमला ग्रामीण व शिमला शहरी कार्यालय, नगर निगम शिमला के प्रत्येक वार्ड कार्यालय व उपायुक्त शिमला की आधिकारिक वैबसाइट (hpshimla.nic.in) और राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वैबसाइट (sechimachal.nic.in) पर आम जनता की जानकारी के लिए उपलब्ध है।

कृप्या निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें :–

- 01–07–2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतू पात्र होंगे।
- कोई भी पात्र व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वह राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्धारित दिनांक **07–07–2022 से 16–07–2022** तक अपने वार्ड से सम्बन्धित पुनरीक्षण अधिकारी **(तहसीलदार, शिमला ग्रामीण/शिमला शहरी, नायब तहसीलदार, शिमला ग्रामीण/शिमला शहरी, तहसीलदार (वसूली), शिमला, जिला राजस्व अधिकारी, शिमला व नायब तहसीलदार धामी कार्यरत उपमण्डल शिमला ग्रामीण कार्यालय)** के पास **प्रारूप–4** पर प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक आवेदन कर सकता है, यद्यपि शिमला नगर निगम के 05 वार्ड(6–समरहिल, 9–बालूगंज, 11– टूटीकंडी, 12–नाभा, 13–फागली) के संदर्भ मे यह प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों व तिथियों के अनुसार ही आरम्भ की जाएगी।

वार्ड न0	पुनरीक्षण अधिकारी का नाम व पदनाम (Revising Authority)	कार्यालय का नाम	दूरभाष	मोबाइल न0
7–टूटु , 8–मजेठ, 10–कच्चीघाटी, 23–ढली–I, 24–ढली–II, 25–शांतिविहार	श्री संजीव गुप्ता, तहसीलदार, शिमला ग्रामीण	तहसील शिमला ग्रामीण कार्यालय	0177–2813064	98160–09140
26–भट्टाकुफर, 27–सांगटी, 28–मलयाना, 29–पंथाघाटी, 30–कसुम्पटी–I, 31–कसुम्पटी–II	श्री गोपाल सिंह मुखिया, नायब तहसीलदार, शिमला ग्रामीण	तहसील शिमला ग्रामीण कार्यालय	0177–2813064	94180–88813
34–अप्पर विकासनगर, 35–लोअर विकासनगर, 36–कंगनाधार, 37–पटयोग, 38–न्यू शिमला	श्री प्रवीण कुमार, नायब तहसीलदार, धामी	कमरा न0 208, कार्यालय उपमण्डल अधिकारी (ना0), शिमला ग्रामीण	0177–2657009	94184–61187
1–भराड़ी, 2–रूल्दू भट्टा, 3–अप्पर कैंथू, 4–कैंथू, 5–अनाडेल, 6–समरहिल	श्री हरीश कुमार, जिला राजस्व अधिकारी, शिमला	जिला राजस्व अधिकारी, शिमला कार्यालय	0177–2657013	94184–78500

9–बालूगंज, 11–टूटीकंडी, 12–नाभा, 13–फागली, 14–अप्पर कृष्णानगर, 15 लोअर कृष्णानगर	श्री सुमेध शर्मा, तहसीलदार, शिमला शहरी	तहसील शिमला शहरी कार्यालय	0177–2807241	94184–74319
16–राम बाजार गंज, 17–लोअर बाजार, 18–जाखू, 19–बैनमोर, 20–ईजनघर, 21–संजौली चौक	श्री हीरा लाल गेजटा, तहसीलदार (वसूली), शिमला	तहसीलदार (वसूली), शिमला कार्यालय	––	98162–01613
22–ढिंगूधार, 32–छोटा शिमला, 33–ब्रॉकहर्स्ट, 39–खलीनी, 40–लोअर खलीनी, 41–कनलोग	श्री हीरा चन्द मानटा, नायब तहसीलदार, शिमला शहरी	तहसील शिमला शहरी कार्यालय	0177–2807241	94186–99838

- यदि किसी व्यक्ति द्वारा मतदाता सूची की प्रविष्टि के सम्बन्ध में आपति दर्ज करवानी हो अथवा किसी प्रविष्टि में शुद्धि करवानी हो तो वह **प्रारूप–5 एवं 6** पर क्रमशः आवेदन कर सकता है।
- प्रारूप–4, 5 व 6 राज्य निर्वाचन आयोग और उपायुक्त शिमला की वैबसाईट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यह प्रारूप पुनरीक्षण अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते है।
- एक व्यक्ति केवल एक ही स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है। दोहरा पंजीकरण कानूनन अपराध है व नियमानुसार दोषी को दण्डित किया जा सकता है जिसमें एक वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।
- यदि आपका नाम पहले से ही किसी अन्य ग्राम सभा/शहरी निकाय अथवा नगर निगम में दर्ज है तो निर्धारित प्रपत्र (प्रारूप–4) पर इसकी घोषणा करें ताकि उस मतदान केन्द्र से आपका नाम विलोपित (हटाया) किया जा सके।
- यदि आपका नाम किसी ऐसे विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र पर दर्ज है जो शिमला नगर निगम का भाग नहीं है और आप नगर निगम शिमला की मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करवाना चाहते हैं तो आपको ऐसे विधानसभा मतदान केन्द्र से अपना नाम विलोपित करने/हटाने के लिए आवेदन करना होगा तथा इसकी पावती/रसीद प्रारूप–4 के साथ संलग्न करनी होगी अथवा सुनवाई के समय सम्बन्धित पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। विधानसभा की मतदाता सूची से नाम हटाए जाने सम्बन्धी आवेदन की पावती/रसीद के सलंग्न न होने पर या प्रस्तुत नही करने पर आपका दावा रद्द हो जाएगा।
- कोई भी व्यक्ति 07–07–2022 से 16–07–2022 तक किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक मतदाता सूची में अपने नाम का निरिक्षण कर सकता है।
- दावें एवं आपत्तियां व्यक्ति द्वारा स्वयं दायर किए जा सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी भेजे जा सकते हैं जोकि निर्धारित समय अवधि के भीतर प्राप्त होने पर ही मान्य होगी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे की लिखित रूप से अधिकृत किया गया हो निर्धारित समय अवधि के भीतर भी दर्ज किए जा सकते हैं।